इलाहाबाद विकास प्राधिकरण इलाहाबाद।

प्रेस विज्ञप्ति

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका संख्या–67325/2014 अशोक कुमार तथा अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में आज दिनॉक 06.08.2016 को इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा पार्किग व्यवस्था सुनिश्चित करानें एवं अतिक्रमणों को हटाये जाने के क्रम में कूपर रोड व एम0जी0रोड कार्नर पर स्थित शिव महिमा काम्प्लेक्स के वेसमेण्ट मे स्थित पार्किग स्थल के स्थान पर बनी सभी दुकानों को ध्वस्त कराते हुए पार्किग व्यवस्था सुनिश्चित करायी गयी। कार्यवाही आगे जारी रहेगी।

उक्त कार्यवाही में जोनल अधिकरी/प्रभारी अधिकारी प्रवर्तन श्री आलोक कुमार पाण्डेय, भवन निरीक्षक श्री आर0एन0आजाद, श्री विजय शंकर पाण्डेय, एवं श्री एस0पी0 सिंह ए0डी0ए0 प्रवर्तन दल एवं पुलिस बल उपस्थित रहे।

(गुडाकेश शर्मा)
प्रभारी अधिकारी जनसम्पर्क

प्रतिलिपिः

सम्पादक समस्त दै. समाचार पत्रों को इस आशय के साथ प्रेषित है कि उक्त विज्ञप्ति को अपने सम्मानित समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशित करानें का कष्ट करें।

प्रभारी अधिकारी जनसम्पर्क